फर्द अहकाम

रुकमणी बनाम चन्दो

यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 167/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.03.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की सम्यक तामील होकर मूल वादपत्र में शामिल पत्रावली है एवं प्रा.पत्र 01आर10(2) सीपीसी स्वीकार होकर प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 2 लगा 12 का नाम हजफ दिये गये है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर पक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने वहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1392, 1405 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1200 है0 व ख0नं0 983 रकवा 0.0500 है0, व ख0नं0 998 रकवा 0.0900 है0 स्थित ग्राम ग्वालिनी पटवार हल्का माधोगढ भू0अ0नि0 तूंगा तह0 तूंगा जिला जयपुर के संवंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 192/2024 उंनवान रुकमणी बनाम चन्दो के निर्णय तक विवादित आराजी पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति वनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	